



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 900]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 31, 2017/चैत्र 10, 1939

No. 900]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 31, 2017/CHAITRA 10, 1939

विद्युत मंत्रालय

(केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण)

आदेश

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2017

का.आ. 1011(अ).—जबकि मेसर्स गुडगांव-पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड (जीपीटीएल), आवेदक, जिसका पंजीकृत कार्यालय: एफ-1, दि मीरा कॉर्पोरेट सुइट्स, 1 व 2 ईश्वर नगर, ओखला क्रॉसिंग, मथुरा रोड, नई दिल्ली 110065 है, ने 'आईएसटीएस के हिस्से के रूप में गुडगांव और पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस सब-स्टेशनों का निर्माण' पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकृत करने हेतु आवेदन किया है।

और जबकि, के.वि.प्रा., विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं.1/3/2015/PSP&A-I/417-418 दिनांक 26.11.2015 के द्वारा 'आईएसटीएस के हिस्से के रूप में गुडगांव और पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस सब-स्टेशनों का निर्माण' पारेषण योजना के लिए मेसर्स जीपीटीएल को विद्युत अधिनियम की धारा 68(1) के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यों के लिए पूर्व अनुमोदन प्रदान किया था:

पारेषण लाइनें:

- (i) अलीगढ़ - प्रियला 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (ii) प्रियला - कादरपुर 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (iii) कादरपुर - सोहना रोड 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (iv) गुडगांव - मानेसर डी/सी लाइन का LILO सोहना रोड सब-स्टेशन पर

(v) नीमराणा (पीजी) - धोनंदा (एचवीपीएनएल) 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

और अब आवेदक ने विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत 'आईएसटीएस के हिस्से के रूप में गुडगांव और पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस सब-स्टेशनों का निर्माण' पारेषण योजना के तहत विद्युत लाइनें बिछाने के लिए उसे वे सभी शक्तियां प्रदान करने का अनुरोध किया है, जो टेलीग्राफ के प्रयोजन के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है। पारेषण योजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य हैं:

पारेषण लाइनें:

- (i) अलीगढ़ - प्रिथला 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (ii) प्रिथला - कादरपुर 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (iii) कादरपुर - सोहना रोड 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन
- (iv) गुडगांव - मानेसर 400 केवी डी/सी लाइन का LILO सोहना रोड सब-स्टेशन पर
- (v) नीमराणा (पीजी) - धोनंदा (एचवीपीएनएल) 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

स्कीम के अंतर्गत पारेषण लाइन निम्नलिखित गांवों, नगरों और शहरों से, उनके ऊपर से, उनके आस-पास से तथा उनके बीच से गुजरेगी:-

i. अलीगढ़ - प्रिथला 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1	मोहसिनपुर, नरायनपुर, किलपुर, मरोर गढ़ी, कुंजगढ़ी, धुमरा सेवागढ़ी, पलवीरन, मथना, लोहलारी, झरना, ताकीपुर, हजियापुर, फतेहपुर, नगरिया जरना, करनपुर, कल्यानपुर, नगर, बलुआपुर, बजेहरा, भरतपुरा, हरसुख की नगलिया, बैरमगंज, शौरौला, मंडक, जरतौली, सलैमापुर, जतरी, नगला गंगापुर, ताहिरपुर, नगला कुराना, फज़िलपुर कच्छ, फज़िलपुर खुर्द, नागल कलां, नागल खुर्द, सोतीपुरा, खंडेहा, गढ़ी सूरजमल, बजौटा, नूरपुर, नगला मेवा, अटारी, बुधका, वैना, सरोई, हामिदपुर, कमालपुर, रंजीत गढ़ी, बिचपुरी, खेरिया बुजुर्ग, लंगोट गढ़ी, झाजूपुर, जलालपुर, एतबारपुर, उसरा रसूलपुर, निगौना (शिगौना), केसरीपुर, रायपुर, नगरिया, जरना, सोतीपुरा, कमालपुर, हुसैनपुर जरेलिया, मथना गढ़ी, चांदपुर खेड़ा, दीप नगर, कुंज गढ़ी, पिपली	खैर	अलीगढ़, उ. प्र.
2.	हंसा गढ़ी, पुराननगर, लूलगढ़ी, मंगरौली, मेवला गोपालगढ़, अलियाबाद (मेहदीपुर), भगवंतपुर, छतंगा, जेवर, मीरपुर कच्छ (कानीगढ़ी), गोविंदगढ़, कोथरा, नगला कानीगढ़ी, छतंगा खुर्द, समसम नगर, झूपा	जेवर	गौतमबुद्ध नगर, उ. प्र.
3.	कुरारा शाहपुर, गुरवारी, पिपली, पहलादपुर, गोरी, सुजवारी, रहीमपुर, रहीमपुर का नगला, मिसा, चंदत, हशंगाबाद, सिहौल, पीलक, तरका, चिरवारी, मलकगंज (गनिकी), किथवारी का नगला, किथवारी, लालपुर	पलवल	पलवल, हरियाणा

कादिम, बसंतगढ़, खजुरका, अलावलपुर, नयागांव (फजलपुर), फिरोज़पुर, पलवल, जनौली, अगवानपुर, अलापुर, पटली कलां (शाहोदपुर), पटली खुर्द, भगौला, मिरानपुर, पलवल ग्रामीण		
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

ii. प्रिथला - कादरपुर 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1	भगौला, पलवल, फिरोज़पुर, अलापुर, पटली कलां, पटली खुर्द, अमरू, पिरथला, चांदपुर, मिरानपुर, जैदापुर, दुदौला, सिकंदरपुर, धातीर, नगला भीखू, सैदपुर, डूंगापुर, तेहरकी, देहलका, परौली, छपरौला, भुरजा, कलवा का नगला, कलवा का सहरला, मंदपुरी	पलवल	पलवल, हरियाणा
2.	बाईखेड़ा, बिलहका, सरमथला, घेंगोला, रानी का सिंगोला, सिंगोला की धानी, जोलका, खतरिका, बिधवका, बादशाहपुर तेतर, सतलका, रहका, कुलियाका, मुंडावर, निमौट, खेरलीलाला, जलालपुर, अभेपुर, सिरसका, लोटकी, बेरका, गढी बाजिदपुर, दमदमा, धुनेला, इसाकी, खोबरी, हरचंदपुर, खैका, खरौदा, दौला, तेथर, चुहरपुर, खेरला, पुलवास, उद्योग कुंज	सोहना	गुडगांव, हरियाणा

iii. कादरपुर - सोहना रोड 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1.	गैरतपुर, टिकली, पलड़ा, इकलीमपुर, अकलीमपुर (इकलिमपुर)	गुडगांव	गुडगांव, हरियाणा
2.	सकतपुर, हसनपुर	मानेसर	गुडगांव, हरियाणा
3.	गढी बाजिदपुर, दमदमा, उद्योग कुंज, सोहना ग्रामीण, धुनेला, बहलपा, बेरका, महंदवाड़ा, सैहजवास, अलीपुर, हरयाहेड़ा, घमरौज, भौंडसी, खेरला	सोहना	गुडगांव, हरियाणा

iv. सोहना रोड सब-स्टेशन पर गुडगांव मानेसर डी/सी लाइन का LILO

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1.	टिकली, गैरतपुर, अकलीमपुर (इकलिमपुर)	गुडगांव	गुडगांव, हरियाणा
2.	सकतपुर	मानेसर	गुडगांव, हरियाणा

v. नीमराणा (पीजी) - धोनंदा (एचवीपीएनएल) 400 केवी डी/सी एचटीएलएस लाइन

क्रम सं.	गांव का नाम	तहसील	जिला
1.	खंडोरा, कोनुका, टंकरी, राजगढ़	बावल	रेवाड़ी, हरियाणा
2.	रसूलपुर, गुढा, गुढा केमला, जिंद बाबा, सिहोर, कनिना, मानपुर, आलमपारा, मोरी, रामबास, गोमला, गोमली, भोजवास, नांगल,	कनिना	महेन्द्रगढ़, हरियाणा

	धाना, नांगल जमालपुर, परतल की धानी, परतल, मोहम्मदपुर, ककराला, इसराना, मोहनपुर, कैमला, चीलावास, उन्हानी, धनुदा, छितरौली, झरली, खरखरा, धनुदा बास, खेरा मनका, तलवाना		
3.	जनकसिंहपुरा, बेलनी, फौलादपुर, शाहजहांपुर, धोधकरी, सनसेरी, जोनैचा कलां, जोनैचा खुर्द, बानी जोनैचा, सिरयानी, कंकर, तबवास, नागल, बलई, धानी नैटोर, प्रतापपुर चक सं. 1, नांगल मेहता, नानगवास, नयागांव, बिघाना, कुटिना, रैसराणा, संतू, हरजीपुर, पोरूला, नांगली, महतावास, अदिंद, अदींद, नघोरी, प्रतापपुर चक सं. 2, प्रतापपुर चक सं. 3, घिलोट, बसई, कैनवास, बीरनवास, धानी डाबरवास, डाबरवास, धीकवर, आनंदपुर, मधन, मंगलपुर, अरिंद, सुल्तानगढ़, मंगलपुर, हरिया खुर्द, हरिया कलां, माली की धानी, नांगली की धानी, सती, गिगलाना	नीमराना	अलवर, राजस्थान
4.	धानी अहीर, चेतडूंगरा, कुंड, परला, बासदुधा, धानी ऊंचा, धानी सोभा, कौलाना, धानी कौलाना, ऊंचा, ऊंचा माजरा, जवारात की धानी, बोहका	रेवाड़ी	रेवाड़ी, हरियाणा

मेसर्स जीपीटीएल ने उपरोक्त योजना के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 164 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त करने की विद्युत मंत्रालय की प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। अब, सावधानीपूर्वक विचार करने के पश्चात, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण, विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार, मेसर्स गुडगांव-पलवल ट्रांसमिशन लिमिटेड (जीपीटीएल) को उपरोक्त पारेषण लाइनों को लगाने के लिए वे सभी शक्तियां निम्नलिखित निबंधनों एवं शर्तों के साथ प्रदान करता है, जो टेलीग्राफ के उद्देश्य के लिए सरकार द्वारा स्थापित टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए या स्थापित होने वाली टेलीग्राफ लाइनों और खंबों या उनके रख-रखाव के लिए भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम, 1885 के अंतर्गत टेलीग्राफ प्राधिकरण के पास है -

- (i) यह अनुमोदन 25 वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है।
- (ii) आवेदक को प्रस्तावित लाइनों की स्थापना से पूर्व संबंधित प्राधिकारियों अर्थात् स्थानीय निकायों, रेलवे, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग आदि की सहमति प्राप्त करनी होगी।
- (iii) आवेदक को विद्युत अधिनियम, 2003 के तहत समुचित आयोग के द्वारा तैयार किए गए पारेषण, ओ एंड एम, ओपन एक्सेस आदि के विनियमों/संहिताओं का पालन करना होगा।
- (iv) आवेदक को 'आईएसटीएस के हिस्से के रूप में गुडगांव और पलवल क्षेत्र में नए 400 केवी जीआईएस सब-स्टेशनों का निर्माण' पारेषण योजना के तहत बिजली की तारें बिछाने का उत्तरदायित्व सौंपा गया है। निर्माण कार्यों का ब्यौरा दिनांक 20.08.2016 से 26.08.2016 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया है।
- (v) आवेदक संबंधित केंद्र सरकार के विद्युत निरीक्षक/मुख्य विद्युत निरीक्षक के अनुमोदन के पश्चात ही लाइनों का प्रचालन करेगा।
- (vi) यह अनुमोदन आवेदक द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 के प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों की अपेक्षाओं का अनुपालन किए जाने के अध्यधीन है।
- (vii) मेसर्स जीपीटीएल को विद्युत निरीक्षण के समय विमानन एवं रक्षा प्राधिकरणों इत्यादि, से अपेक्षित अनुमति को प्राप्त करने के बाद, इसे केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण को विद्युत निरीक्षण के समय प्रस्तुत करना होगा।

[मिसिल. सं. 164/जीपीटीएल/डब्ल्यूआर/पीएसपीएंडए-1/2017]

पी. डी. सिवाल, सचिव

MINISTRY OF POWER
(CENTRAL ELECTRICITY AUTHORITY)

ORDER

New Delhi, the 28th March, 2017

S.O. 1011(E).—Whereas M/s. GPTL (Gurgaon Palwal Transmission Limited), the applicant with its registered office at F-1, The Mira Corporate Suits, 1&2, Ishwar Nagar, Mathura Road, New Delhi-110065 has applied for authorization under Section 164 of the Electricity Act, 2003 for laying of electric lines under the transmission scheme “Creation of New 400 kV GIS Sub Stations in Gurgaon and Palwal area as a part of ISTS”.

And whereas CEA, Ministry of Power, Government of India vide its letter No.1/3/2015/PSP&A-I/417-418 dated 26.11.2015 had granted prior approval under section 68 (1) of the Electricity Act, 2003 to M/s GPTL for the transmission scheme “Creation of New 400 kV GIS Sub Stations in Gurgaon and Palwal area as a part of ISTS” with following scope of work:

Transmission Lines:

- 1) Aligarh - Prithla 400 kV D/C HTLS line
- 2) Prithla - Kadarapur 400 kV D/C HTLS line
- 3) Kadarapur - Sohna Road 400 kV D/C line
- 4) LILO of Gurgaon Manesar D/C line at Sohna Road Substation
- 5) Neemrana (PG) - Dhonanda (HVPNL) 400 kV D/C HTLS line

And now the applicant has requested to confer upon him, all the powers under section 164 of the Electricity Act, 2003, which the telegraph authority possess under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to the placing of telegraph lines and posts for the purpose of a telegraph established or maintained by Government or to be so established or maintained for laying of electric lines under the transmission scheme “Creation of New 400 kV GIS Sub Stations in Gurgaon and Palwal area as a part of ISTS” with the following scope of work:

Transmission Lines:

- 1) Aligarh - Prithla 400 kV D/C HTLS line
- 2) Prithla - Kadarapur 400 kV D/C HTLS line
- 3) Kadarapur - Sohna Road 400 kV D/C line
- 4) LILO of Gurgaon Manesar D/C line at Sohna Road Substation
- 5) Neemrana (PG) - Dhonanda (HVPNL) 400 kV D/C HTLS line

The Transmission lines covered under the above scheme will pass through, over, around and between the following villages, towns and cities:

(i) Aligarh – Pirthala 400kV D/C HTLS Line

S. No	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Mohsinpur, Naraianpur, Kilpur, Marorgarhi, Kunjgarhi, Dhumra Sewagarhi, Palaviran, Mathna, Lohlari, Jharna, Takipur, Hajiyapur, Fatehpur, Nagariya Jarana, Karanpur, Kalyanpur, Nagar, Baluapur, Bajhera, Bharatpura, Harsukh Ki Nagalia, Bairamganj, Shauraula, Mandak, Jartauli, Salaimapur, Jatari, Nagla Gangapur, Tahirpur, Nagla Kurana, Fazilpur Kachh, Fazilpur Khurd, Nagal Kalan, Nagal Khurd, Sotipura, Khandeha, Garhi Surajmal, Bajauta, Nurpur, Nagla Mewa, Atari, Budhaka, Waina, Saroi, Hamidpur, Kamalpur, Ranjitgarhi, Bichpuri, Kheria Buzurg, Langot Garhi, Chhajjapur, Jalalpur, Etbarpur, Usra Rasulpur, Nigauna	Khair	Aligarh, U.P.

	(Shigauna), Kesariapur, Raipur, Nagariya Jarana, Sotipura, Kamalpur, Husainpur Jarelia, Mathnagarhi, Chandpur Khera, Dipnagar, Kunj Garhi, Pipli		
2.	Hansa Garhi, Purannagar, Lulgarhi, Mangrauli, Meola Gopalgarh, Aliabad (Mehdipur), Bhagwantpur, Chhatanga, Jewar, Mirpur Kachh (Kanigarhi), Govindgarh, Kothra, Nagla Kanigarhi, Chhatanga Khurd, Samsamnagar, Jhuppa	Jewar	Gautam B. Nagar, U.P.
3.	Kurara Shahpur, Gurwari, Pipli, Pahladpur, Gori, Sujwari, Rahimpur, Rahimpur Ka Nagla, Misa, Chandhat, Hashangabad, Sihaul, Pelak, Taraka, Chirwari, Malakganj (Ganiki), Kithwari Ka Nagla, Kithwari, Lalpur Kadim, Basantgarh, Khajurka, Alawalpur, Nayagaon (Fazalpur), Firozpur, Palwal, Janauli, Agwanpur, Alapur, Patali Kalan(Shahodpur), Patali Khurd, Baghaura, Miranpur, Palwal Rural	Palwal	Palwal, Haryana

(ii) Pirthala – Kadarapur 400kV D/C HTLS Line

S. No	Name of Villages	Tehsil	District
1	Baghaura, Palwal, Firozpur, Alapur, Patali Kalan, Patali Khurd, Amru, Pirthala, Chandpur, Miranpur, Jaindapur, Dudaula, Sikandarpur, Dhatir, Nagla Bhikhu, Saidpur, Dungapur, Teharki, Dehlaka, Parauli, Chhapraula, Bhurja, Kalwaka Nagla, Kalwaka, Sahrara, Mandpuri	Palwal	Palwal, Haryana
2.	Bai Khera , Bilahaka , Sarmathla ,Ghaingola, Rani Ka Singola, Singola Ki Dhani, Jolaka, Khatrika, Bidhwaka, Badshahpur Tetar, Satlaka, Rahaka, Kuliaka, Mundawar, Nimaut, Kherlilala, Jalalpur, Abhepur, Siraska, Lotki, Berka, Garhi Bazidpur, Damdama, Dhunela, Isaki, Khobri, Harchandpur, Khaika, Kharauda, Daula, Tethar, Chuaharpur, Kherla, Pulawas, Udyog Kunj	Sohna	Gurgaon, Haryana

(iii) Kadarapur-Sohna Road 400kV D/C HTLS Line

S. No	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Gairatpur, Tikli, Palra, Iqlimpur, Aklimpur(Iqlimpur)	Gurgaon	Gurgaon, Haryana
2.	Sakatpur, Hasanpur	Manesar	Gurgaon, Haryana
3.	Garhi Bazidpur, Damdama, Udyog Kunj, Sohna Rural, Dhunela, Bahalpa, Berka, Mahandwara, Saihajawas, Alipur, Haryaheera, Ghamrauj, Bhaundsi, Kherla	Sohna	Gurgaon, Haryana

(iv) LILO of Gurgaon-Manesar D/C line at Sohna Road S/S

S. No.	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Tikli, Gairatpur, Aklimpur(Iqlimpur)	Gurgaon	Gurgaon, Haryana
2.	Sakatpur	Manesar	Gurgaon, Haryana

(v) Neemrana (PG) Dhonanda (HVPNL) 400kV D/C HTLS Line

S. No	Name of Villages	Tehsil	District
1.	Khandora, Konuka, Tankri, Rajgarh	Bawal	Rewari, Haryana
2.	Rasulpur, Gurha, Gurha Kemla, Jinda Baba, Sihor, Kanina, Manpur, Alampara, Mori, Rambas, Gomla, Gomli, Bhojawas, Nangal, Dhana, Nangal Jamalpur, Partal Ki Dhani, Partal, Mohamadpur, Kakrala, Israna, Mohanpur, Kaimla, Chelawas, Unhani, Dhanuda, Chhitroli, Jharli, Kharkhara, Dhanuda Bas, Khera Manka, Talwana	Kanina	Mahendragarh, Haryana
3.	Janaksinghpura, Belani, Fauladpur, Shahjahanpur, Dhodhakari, Sanseri, Jonaicha Kalan, Jonaicha Khurd, Bani Jonaycha, Siryani, Kankar, Tabwas, Nagal, Balai, Dhani Naitor, Pratappur Chak No. 1, Nangal Mehta, Nanagwas, Nayagaon, Bighana, Kutina, Raisrana, Santu, Harzipur, Porula, Nangli, Mahtawas, Adind, Adeend, Naghori, Pratappur Chak No. 2, Pratappur Chak No. 3, Ghilot, Basai, Kainwas, Biranwas, Dhani Dabarwas, Dabarwas, Dhikwar, Anandpur, Madhan, Mangalpur, Arind, Sultangad, Mangalpur, Huria Khurd, Huria Kalan, Mali Ki Dhani, Nangli Ki Dhani, Sati, Giglana	Nimrana	Alwar, Rajasthan
4.	Dhani Ahir, Chetadungra, Kund, Parla, Basdudha, Dhani Uncha, Dhani Sobha, Koulana, Dhani Koulana, Uncha, Uncha Majara, Jawarat Ki Dhani, Bohka	Rewari	Rewari, Haryana

M/s. GPTL had complied with the MoP's procedure for obtaining the authorization under section 164 of Electricity Act, 2003 for the above scheme. Now, after careful consideration, Central Electricity Authority, Ministry of Power, Government of India, under section 164 of the Electricity Act, 2003, confers all the powers to M/s GPTL (Gurgaon Palwal Transmission Limited) for laying above transmission lines, which telegraph authority possesses under the Indian Telegraph Act, 1885 with respect to placing of telegraph lines and posts for the purposes of a telegraph established or maintained, by Government or to be established or maintained subject to following terms and conditions for installing the above mentioned transmission lines, namely:

- (i) The approval is granted for 25 years;
- (ii) The Applicant shall have to seek the consent of the concerned authorities i.e. local bodies, Railways, National Highways, State Highways etc. before erection of proposed lines;
- (iii) The Applicant shall have to follow regulations/codes of the Appropriate Commission regarding transmission, O&M, open access, etc., framed under Electricity Act, 2003.
- (iv) The Applicant has been entrusted with the responsibility for laying of electric lines under the transmission scheme "Creation of New 400 kV GIS Sub Stations in Gurgaon and Palwal area as a part of ISTS". The details of the works are published in the Gazette of India dated 20th August - 26th August, 2016.
- (v) The Applicant shall operate the lines after approval of Electrical Inspector / Chief Electrical Inspector of Central Government;
- (vi) The approval is subject to compliance of the requirement of the provisions of the Electricity Act, 2003 and the rules made there under by the applicant.
- (vii) M/s GPTL shall have to submit the requisite clearances to Central Electricity Authority after obtaining the same from concerned authorities like Civil Aviation, Defence etc., at the time of Electrical Inspection.

[F. No. 164/GPTL/WR/PSP&A-I/2017]

P. D. SIWAL, Secy.